FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
मलकितराम पुत्र सुखाराम जाति बाजीगर सिख निवासी 801 मैसरखाना तहसील मयूर मण्डी जिला भटिण्डा, पंजाब		राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 40 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.09.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, भा0दं0सं0 व धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा ट्रक अशोका लिलेण्ड वाहन संख्या पीबी 03 बीसी 5917 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली सहित दिनांक 20.09.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
20.9.21	प्रार्थी की ओर से वकील सतपाल सिंवर उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार उपस्थित। श्री राजेन्द्र कुमार हेड कानिन्सटेबल पुलिस थाना डीडवाना उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन ट्रक अशोका लिलेण्ड ट्रक नम्बर पीबी 03 बीसी 5917 मय मूल दस्तावेज का प्रार्थी मलकितराम स्वामी है। उक्त वाहन एवं दस्तावेज का अन्य कोई स्वामी नहीं है। उक्त वाहन मय मूल दस्तावेज को पुलिस थाना डीडवाना द्वारा उनके प्रकरण संख्या 125/21 में जब्त कर रखा है। पुलिस थाना डीडवाना को उक्त जब्त शुदा वाहन व मूल दस्तावेज की अनुसंधान में को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी का उक्त वाहन व मूल दस्तावेज पुलिस थाना डीडवाना में रख रखाव के अभाव में पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है। जबकि प्रार्थी को उक्त वाहन मय मूल दस्तावेज की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थी की आजिविका का एक मात्र साधन उक्त वाहन ही है, जिसके अभाव में प्रार्थी को भारी आर्थित क्षति हो रही है। प्रार्थी उक्त वाहन को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने हेतु तत्पर है, का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन मय मूल दस्तावेज को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:18 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौजदारी प्रार्थना पत्र सं. 40/2021 मलकितराम v/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.9.21 (लगातार)	प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया।	

अभियोजन अधिकारी व श्री राजेन्द्र कुमार हेड कानिन्सटेबल पुलिस थाना डीडवाना ने कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पीबी 03 बीसी 5917 मय मूल दस्तावेज की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर मूल दस्तावेज वकील प्रार्थी को पुनः लौटाये गये। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक–3896 दिनांक 20.09.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी 03 बीसी 5917 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी मलकितराम पुत्र सुखाराम जाति बाजीगर सिख निवासी 801 मैसरखाना तहसील मयूर मण्डी जिला भटिण्डा, पंजाब को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 12,00,000/–रूपये(अक्षरे रूपये बारह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना को पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/2021 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी 03 बीसी 5917 मय मूल दस्तावेज को प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन व वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी डीडवाना द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना डीडवाना की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:18 IST
Reason: SelfAttested